in State/Central Sector are in operation.

(i) Provision of House sites cum construction assistance schemes in the State sector.

(ii) Indira Awas Yojana in the Central Sector.

(iii) Plan provision for water supply and sanitation.

(iv) Various social housing schemes for EWS, LIG and MIG categories with institutional finance.

(v) Shelter upgradation programme for urban poor under Nehru Rozgar Yojana.

(vi) Central Scheme of night shelters for footpath dwellers in major cities. Substantial loan assistance is available from HUDCO for housing and water supply Schemes.

Increase in the supply of essential commodities to States

664. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of States including Madhya Pradesh have sought higher allocations of items like sugar, kerosene, edible oil for public distribution during the month of May, 1990;

(b) what is the total allocation increased to Madhya Pradesh and other States from May, 1990 onwards; and

(c) to what extent Government are considering to provide sufficient allocations of food items to the States to check the rise of prices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) Yes Sir.

(b) and (c) A statement indicating the allocations of kerosene and imported edible oils made to the States/U.Ts. including Madhya Pradesh from May, 1990 onwards is annexed. [*See* Appendix CLV, Annexure No 24].

Allocations of foodgrains (wheat and rice and edible oil) from the Central Pool to the States/UTs are made on a month to month basis taking into account the availability of stock in the Central Pool, *inter-se* requirements of States/UTs., market availability, past off take etc.

Allocations of levy sugar for PDS are based on a uniform norm of 425 grams per capita monthly availability for the projected population as on 1.10.1986.

The allocations of food items made for PDS are only supplemental in nature.

महिला कल्याण संबंधी समिति 1975 के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

665. **श्री कपिल वर्मा:**
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1975 में महिला कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित किये जाने के बाद से ही महिला संगठन महिलाओं के लिए बनाये गये कानूनों को लागू करवाने के लिये एक सांविधिक निकाय की स्थापना किये जाने की मांग करते रहे हैं, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजनायें क्या हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बात पर निगाह रखने के लिए कि क्या मौजूदा कानूनों को ठीक से लागू किया जा रहा है या नहीं, कोई गारंटी नहीं है; और

(ग) इस समय महिलाओं से संबंधित वास्तव में कितनी योजनाओं को सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है और इसके बारे में क्या प्रगति रिपोर्ट है तथा महिलाओं की इन योजनाओं पर कितना धन वार्षिक रूप से खर्च किया जा रहा है?

कल्याण मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती उषा सिंह): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने एक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना करने का निश्चय किया है। इस संबंध में मई 1990 में लोक सभा में एक विधेयक पेश किया गया था। कुछ संशोधनों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग

विधेयक, 1990 पर लोक सभा में विचार किया जा रहा है।

मौजूदा कानूनों के उपबन्धों को राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और कानून में अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन किए जाने पर दन्ड की व्यवस्था है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा महिलाओं के लिए 27 लाभ-प्रधान योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। **[ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।]**

विवरण

केवल महिलाओं के लिए 27 लाभ-प्रधान योजनाओं का कार्यन्वयन

क्रम सं॰	मंत्रालय/विभाग का नाम और योजना का नाम	लक्ष्य 1989-90 (लाख रु॰ में)	31-3-90 तक व्यय (लाख रु॰ में)
1	2	3	4
	ग्रामीण विकास विभाग		
1.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास	**1149.00**	**901.41**
	शिक्षा विभाग		
2.	केवल लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा	1765.00	1202.86
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
3.	ए॰एन॰एम॰/दाई और एल॰एच॰वी॰ का प्रशिक्षण	1050.00	1250.34
4.	दाइयों का प्रशिक्षण	200.00	129.43
5.	पोषाहारीय रक्तक्षीणता की रोकथाम के लिए रोग-प्रतिरोधन	875.00	900.00
	कल्याण मंत्रालय		
6.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए गर्ल्स होस्टल	550.00	551.53
	श्रम मंत्रालय		
7.	महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (योजना और गैर-योजना)	65.76	44.45
8.	महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का/विविधकरण विस्तार	15.00	12.94
9.	हिसार (हरियाणा) में आर॰वी॰टी॰ आई॰ की स्थापना	5.00	3.24
10.	एन॰वी॰टी॰आई॰ और आर॰वी॰टी॰आई॰ में प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षणों का आयोजन और प्लेसमैंट सैल की स्थापना करना	1.00	—
11.	अतिरिक्त आर वी टी आई की स्थापना	19.00	10.65
12.	नई दिल्ली, बम्बई और बंगलौर में महिलाओं के लिए आर वी टी आई/एन वी टी आई को सुदृढ बनाना	32.00	9.05
13.	डी जी ई एण्ड टी के नई दिल्ली मुख्यालय में महिला सैलों को सुदृढ बनाना/ महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए निदेशालय की स्थापना करना	1.00	—
14.	महिला आई टी आई स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	175.00	102.00
15.	विकलांग महिलाओं का पुनर्वास (महिलाओं के लिए दो वी आर सी की स्थापना)	7.60	5.99

1	2	3	4
	महिला एवं बाल विकास विभाग		
16.	कामकाजी महिला होस्टल	500.00	556.00
17.	महिलाओं के लिए रोजगार और आय-वर्धक सह-उत्पादन केन्द्रों की स्थापना (नोराड)	200.00	201.28
18.	प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम	282.50	282.48
19.	सामाजिक—आर्थिक कार्यक्रम	300.00	299.97
20.	ग्रामीण और गरीब महिलाओं के लिए जागृति विकास परियोजना	47.50	41.15
21.	महिला विकास निगम	200.00	166.20
22.	संकटग्रस्त महिलाओं का पुनर्वास	20.00	20.00
23.	महिलाओं/लड़कियों के लिए अल्पावास गृह	95.00	95.00
24.	कामकाजी / बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र	1537.00	1537.00
25.	समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस)	18100.00	18044.00
	विज्ञान और प्रोद्यौगिकी विभाग		
26.	महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रोद्योगिकी का प्रयोग	55.00	69.91
	कृषि और सहकारिता विभाग		
27.	बैकयार्ड पोल्टरी डिवेल्पमैंट (घरों में मुर्गीखाना खोलना)	12.00	9.63

Reduction in Administrative expenditure under Jawahar Rozgar Yojana

666. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the modified Jawahar Rozgar Yojana guidelines the administrative expenditure is reduced from 5 per cent to 2 per cent;

(b) whether there is any representation from the State Governments especially the Andhra Pradesh Government to increase the administrative expenditure from 2 per cent to 5 per cent; and

(c) if so, what is Government's eaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI UPENDRA NATH VERMA): (a) Yes, Sir.

(b) No, sir.

(c) Question does not arise.

Approval to Rural Water Supply Project in Uddanam Area of Andhra Pradesh

667. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received the revised details project report on RWSP to Uddanam area of Srikakulam district of Andhra Pradesh; and

(b) if so, by when the administrative approval would be given?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI UPENDRA NATH VERMA): (a) No, Sir.

(b) The project will be considered on receipt of revised project.

Supply of Drinking Water in Cuddapah District in Andhra Pradesh

668. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received any project report for providing drinking water supply to Rayachoty and three